कार्यालय,प्राचार्य वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,एटा– उ0प्र0

ईमेल–gmcetah@gmail.com

पत्र संख्याः मे0का0एटा/2023/3681

दिनाँकः 18,अक्टूबर, 2023

–: विज्ञप्ति :–

संविदा के आधार पर आचार्य, सह–आचार्य तथा सहायक आचार्य के पदों पर सेवायोजना हेतु

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा के विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर आचार्य, सह–आचार्य, एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु साक्षात्कार दिनांक 19.10.2023 से प्रतिदिन वॉक–इन इण्टरव्यू **(Walk-in-Interview)** के माध्यम से प्रधानाचार्य कार्यालय स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एटा में किया जायेगा।

अतः आचार्य, सह–आचार्य, एवं सहायक आचार्य के पदों पर इच्छुक अभ्यर्थी अपने मूल अभिलेखों के साथ वॉक–इन इण्टरव्यू में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य के रिक्त पदों का विवरण

क्र0 सं0	विशिष्टता	आचार्य		सह–आचार्य		सहायक आचार्य	
		पदो की संख्या	श्रेणी	पदो की संख्या	श्रेणी	पदो की संख्या	श्रेणी
1.	आर्थोपेडिक्स	01	UR	01	SC	01	OBC
2.	आब्सट्रेटिक्स एण्ड गायनकोलॉजी	01	SC	01	UR	-	-
3.	इमरजेन्सी मेडिसिन	-	-	01	OBC	01	UR
4.	एनाटमी	-	-	-	-	01	SC
5.	एनेस्थीसियोलॉजी	-	-	01	SC	-	-
6.	ओटो–राइनो–लैरिंगोलॉजी	-	-	-	-	01 01	OBC EWS
7.	कम्युनिटी मेडिसिन	01	OBC	-	-	01	OBC
	यू0एच0टी0सी0 (मेडिकल आफिसर – हेल्थ कम–लेक्चरर/सहायक आचार्य)	-	-	-	-	01	EWS
	आर0एच0टी0सी0 (मेडिकल आफिसर – हेल्थ कम–लेक्चरर/सहायक आचार्य)	-	-	-	-	01	SC
8.	जनरल मेडिसिन	-	-	01 01	OBC UR	01	UR
9.	जनरल सर्जरी	-	-	01 01	OBC EWS	-	-
10.	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन/ पल्मोनरी मेडिसन	-	-	01	SC	-	-
11.	डर्मेटोलॉजी वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	-	-	01	UR	01	UR
12.	पीडियाट्रिक्स	01	EWS	01	OBC	01	OBC
13.	पैथोलॉजी	01	SC	-	-	01	OBC
14.	फार्माकोलॉजी	-	-	01	SC	01	SC
15.	फिजियोलॉजी	01	SC	-	-	01 01	OBC EWS
16.	फोरेन्सिक मेडिसिन	01	OBC	01	UR	01	SC
17.	बायोकेमिस्ट्री	01	UR	01	OBC	-	-
18.	माइक्रोबायोलॉजी	01	OBC	-	-	01	UR
19.	रेडियो–डायग्नोसिस	-	-	01	OBC	01	SC
20.	साइकियाट्री	-		01	EWS	-	-
	योग	09		16		18	

नोटः– विज्ञापित श्रेणी के सापेक्ष भिन्न श्रेणी के अभ्यर्थी के चयन की संस्तुति वाँछित श्रेणी का अभ्यर्थी मिलने तक की जायेगी।

-: संविदा पर चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यो का नियत वेतन रू0 1,35,000/-प्रति माह, सह-आचार्यो का नियत वेतन रू0 1,20,000/-प्रति माह, तथा सहायक आचार्य का नियत वेतन रू0 90,000/-प्रतिमाह (शासनादेश संख्या-104/2019/5044/71-1- 2018-जी-63/2018 दिनांक 21 नवम्बर, 2019 के अनुसार) एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशानुसार वेतन देय होगा।
2. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होगें।
3. पदों की संख्या घट-बढ सकती हैं।
4. मेडिकल कॉलेज से सेवानिवृत्ति आचार्य को शासनादेश संख्या -250/2018/4067/71-1-2017-जी-63/2008 दिनांक 02 सितम्बर, 2018 द्वारा निर्गत शर्तों के अनुसार वेतन प्रदान किया जायेगा।
5. संविदा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हतायें, अनुभव, नियम एवं शर्ते-एन०एम०सी०/एम०सी०आई० मानकों के अनुरूप एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों/नियमों के अनुसार एवं उ०प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की संवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2018 में निहित व्यवस्था के अनुसार होंगी।
6. इन पदों पर वाक-इन-इण्टरव्यू **(Walk-in-Interview)** पद्धति से कालेज स्तर से प्रधानाचार्य/चयनसमिति की संस्तुति के आधार पर शासन/महाविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रषिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ के स्तर से चयन किया जाना हैं। संविदा पदों पर अन्तिम चयन की प्रक्रिया शासन/महाविद्यालय के द्वारा की जानी हैं।
7. चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु शासनादेश संख्या-562/71-1-2020-जी0-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 के अनुसार जुलाई के प्रथम दिवस को अधिकतम आयु सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह-आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
8. अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं शैक्षिक/जाति/अनुभव/शोध/आधार कार्ड/पैन कार्ड पत्रों की (स्व-प्रमाणित) छायाप्रतियों के 01 सेट बायोडाटा एवं 01 पासपोर्ट फोटो सहित साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित हों।
9. नियमानुसार आरक्षण लागू होगा एवं समय-समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेशका अनुपालन किया जायेगा। आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी न मिलने की दषा में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को संविदा पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मिलने तक नियुक्त किया जा सकता हैं।
10. ओ०पी०डीके दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगें।
11. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले षिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा षिक्षकों को मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेषा डयूटी उपलब्ध रहना होगा।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा के पश्चात नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः साक्षात्कार के उपरान्त बढाया जा सकेगा।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा षिक्षकों की सेवायें नियमित नियुक्ति के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती हैं।
14. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा षिक्षकों को करार के 15 दिवस के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना शासन तथा महानिदेशालय, चिकित्सा षिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को तत्काल भेजी जायेगी।
15. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा षिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा एवं उसे कोई बोनस देय नहीं होगा।
16. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
17. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आषय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेगें कि "उनके विरूद्ध माननीय न्यायालय मे कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं हैं और यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी"।
18. कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे अन्यत्र कार्यरत नहीं हैं।

नोट- साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रधानाचार्य
वीरांगना अवन्तीबाई लोधी
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
एटा